बड़े सपनों का रखें ख़्याल

एलआईसी की अमृतबाल

एलआईसी की अमृतबाल

यूआइएन: 512N365V02

प्लान नं. 774

बच्चों के लिये बीमा योजना

LIC/R1/2024-25/17/HIN

प्रॉडक्ट की मुख्य विशेषताएँ

- पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान आकर्षक गारंटीड एडीशन्स
- परिपक्वता की उम्र 18-25 वर्ष
- एकल/सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प

यह प्लान बिक्री के लिये ऑनलाइन भी उपलब्ध है

एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Har Pal Aapke Saath

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें LIC digital | विज़िट करें: licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

धोखेधड़ी वाले फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें. आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं. जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें. कृपया बिक्री के समापन से पहले बिक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ ले.

एलआईसी का अमृतबाल (यूआईएनः 512N365V02)
(एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत, योजना)

एलआईसी की अमृतबाल एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत, योजना है। यह योजना विशेष रूप से आपके बच्चे की उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था रखने हेतु तैयार की गई है। यह गारंटीड अभिवृद्धियों के माध्यम से धन–संचय की सुविधा प्रदान करती है।

यह एक असहभागी उत्पाद है, जिसके अंतर्गत मृत्यु या उत्तरजीविता पर देय हितलाभ गारंटीकृत और वास्तविक अनुभव से परे तय होते हैं। इसलिए यह पॉलिसी बोनस आदि या अधिशेष में भागीदारी जैसे किसी भी विवेकाधीन हितलाभ के लिए पात्र नहीं है।

इस योजना को अनुज्ञा प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों, बीमा विपणन फर्मों, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स – लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटरों (सीपीएससी–एसपीवी) के माध्यम से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है और साथ ही वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

1. प्रमुख विशेषताएँः

- संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान प्रति हजार मूल बीमित राशि पर 80 रुपये की गारंटीकृत अभिवृद्धि।
- आवश्यकतानुसार अपने बच्चे के लिए जीवन बीमा बीमा–सुरक्षा चुनने का विकल्प।
- चुनने का विकल्प
  - * एकल प्रीमियम और सीमित प्रीमियम भुगतान में से चुनें।
  - * अपने बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 18 से 25 वर्ष की परिपक्वता आयु चुनें।
  - * किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प चुनें।
- अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर चुनने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से नकदी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

2. पात्रता शर्तें और अन्य प्रतिबंधः

i.	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	0 वर्ष (30 दिन पूर्ण)

ii.	प्रवेश के समय अधिकतम आयु	13 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
iii.	परिपक्वता पर न्यूनतम आयु	18 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
iv.	परिपक्वता पर अधिकतम आयु	25 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
v.	न्यूनतम पॉलिसी अवधि	सीमित प्रीमियम भुगतान: 10 वर्ष एकल प्रीमियम भुगतान: 5 वर्ष
vi.	अधिकतम पॉलिसी अवधि	सीमित प्रीमियम भुगतान: 25 वर्ष एकल प्रीमियम भुगतान: 25 वर्ष पीओएसपी–एलआई / सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से ली गई पॉलिसियों के मामले में: 20 वर्ष
vii.	प्रीमियम भुगतान अवधि	सीमित प्रीमियम भुगतान: 5, 6 और 7 वर्ष एकल प्रीमियम भुगतान: एकल भुगतान
viii.	न्यूनतम बीमा राशि	रू. 2,00,000/–
ix.	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं, बीमांकन निर्णय के अधीन* (*प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम मूल बीमा राशि बोर्ड अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार बीमांकन निर्णय के अधीन होगी।)
x.	मूल बीमा राशि गुणज	मूल बीमा राशि निम्नांकित राशि के गुणकों में होगी:

मूल बीमा राशि सीमा	**बीमित राशि गुणक (रू.)**
रू. 2,00,000/– से रू. 24,00,000/– तक	25,000/–
रू. 24,00,000/– रुपये से अधिक	50,000/–

जोखिम शुरू होने की तिथि: यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ या उसके तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगांठ से शुरू होगा, जो भी पहले हो। प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए, जोखिम तुरंत, अर्थात पॉलिसी जारी करने की तिथि से शुरू होगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि: पॉलिसी स्वचलित रूप से 18 वर्ष

की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी और ऐसी निहितता पर निगम और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध माना जाएगा।

3. हितलाभ

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ:

प्रस्तावक के पास एकल प्रीमियम और सीमित प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत उपलब्ध दो विकल्पों में से ''मृत्यु पर बीमित राशि'' चुनने का विकल्प होगा।

आपके बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर विकल्पों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम और हितलाभ चयनित विकल्प के अनुसार अलग-अलग होंगे और बाद में उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रीमियम भुगतान	विकल्प	मृत्यु पर बीमित राशि
सीमित प्रीमियम भुगतान	विकल्प I	इनमें से जो अधिक हो • वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना; या • मूल बीमा राशि
	विकल्प II	इनमें से जो अधिक हो • वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना; या • मूल बीमा राशि
एकल प्रीमियम भुगतान	विकल्प III	इनमें से जो अधिक हो • एकल प्रीमियम का 1.25 गुना; या • मूल बीमा राशि
	विकल्प IV	एकल प्रीमियम का 10 गुना

नोट: उपरोक्त तालिका में,

i. ''वार्षिक प्रीमियम'' एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग शामिल नहीं होगी।

ii. ''एकल प्रीमियम'' पॉलिसीधारक द्वारा चयनित प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

जोखिम के प्रारंभ की तिथि के बाद लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में देय मृत्यु हितलाभ, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, चालू पॉलिसी के

लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि के साथ ''मृत्यु पर बीमित राशि'' होगी।

''मृत्यु पर बीमित राशि'' ऊपर दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार चयनित विकल्प के अनुसार होगी।

सीमित प्रीमियम भुगतान (विकल्प I और विकल्प II) के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक ''कुल भुगतान की गई प्रीमियम'' के 105% से कम नहीं होगा। जहाँ, ''कुल भुगतान की गई प्रीमियम'' का अर्थ है मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग, किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम और करों को छोड़कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो। यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो प्रस्तावक की मृत्यु की स्थिति में, किसी भी आगामी प्रीमियम जो माफ किया जाता है, उसे प्राप्त माना जाएगा और उसे कुल भुगतान की गई प्रीमियम में शामिल किया जाएगा।

हालाँकि, ऐसे अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जिसकी प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है, जोखिम के प्रारंभ होने से पहले मृत्यु होने पर (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट है), देय मृत्यु हितलाभ, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, भुगतान की गई प्रीमियम (करों, अतिरिक्त प्रीमियम, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है, राइडर प्रीमियम(मों), यदि कोई हो) को छोड़कर, बिना ब्याज के, वापस किया जाएगा।

मृत्यु हितलाभ का भुगतान ऊपर निर्दिष्ट एकमुश्त और/या किस्तों में (जैसा कि नीचे अनुच्छेद 4.3 में निर्दिष्ट है), पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार किया जाएगा।

बी) परिपक्वता हितलाभ: निर्धारित परिपक्वता तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, ''**परिपक्वता पर बीमित राशि**'' के साथ–साथ चालू पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि देय होगी; जहां ''परिपक्वता पर बीमित राशि'' मूल बीमित राशि के बराबर होगी।

सी. चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि: चालू पॉलिसी के अंतर्गत, गारंटीकृत अभिवृद्धि प्रारंभ से लेकर पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में प्रति हजार मूल बीमित राशि पर 80 रुपये की दर से अर्जित होगी।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष में गारंटीकृत अतिरिक्त राशि पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगी।

चालू पॉलिसी के अभ्यर्पण के मामले में, जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी समर्पित की गई है, उसके लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि, उस पॉलिसी वर्ष के पूर्ण हुए महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ी जाएगी।

4. उपलब्ध विकल्पः

I. राइडर हितलाभ:

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर सीमित प्रीमियम भुगतान (विकल्प 1 और विकल्प 2) के अंतर्गत निम्नलिखित वैकल्पिक राइडर उपलब्ध होगा।

एलआईसी प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर (यूआईएन 512B204V04):

चालू पॉलिसी के अंतर्गत, इस राइडर को पॉलिसी के प्रस्तावक (क्योंकि बीमित व्यक्ति अवयस्क है) के जीवन पर, पॉलिसी की वर्षगांठ के साथ किसी भी समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चुना जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी और राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। इसके अलावा, इस राइडर की अनुमति केवल उस पॉलिसी के अंतर्गत होगी, जिसमें इस राइडर को चुनने के समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है। राइडर अवधि यह राइडर लेने की तिथि पर या (इस राइडर को चुनने के समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की आयु में से 25 घटाकर), जो भी कम हो, मूल पॉलिसी की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि होगी। यदि राइडर अवधि और प्रस्तावक की आयु, दोनों का योग 70 वर्ष से अधिक है, तो इस राइडर की अनुमति नहीं होगी।

यदि इस राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि से लेकर उसके बाद राइडर अवधि की समाप्ति तक मूल पॉलिसी के संबंध में देय प्रीमियम का भुगतान माफ कर दिया जाएगा।

एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर के लिए प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही राइडर बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती।

उपरोक्त राइडर के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से ली गई पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।

II. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए):

निपटान विकल्प एक ऐसा विकल्प है जिसमें परिपक्वता हितलाभ चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 साल की अवधि में किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का इस्तेमाल पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अल्पवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता राशि के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी

शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा कि भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन चुना गया हो:

किस्तों में भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रू. 5,000/-
त्रैमासिक	रू. 15,000/-
अर्धवार्षिक	रू. 25,000/-
वार्षिक	रू. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावे की राशि का भुगतान केवल एकमुश्त रूप से किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्राप्ति में से 200 आधार अंक घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता दावे की नियत तिथि से कम से कम 3 महीने पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान के विकल्प का प्रयोग करना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद, पॉलिसीधारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान की विधि के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक माह या तीन माह या छह माह या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान प्रारंभ होने के बाद:

i. यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प का प्रयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है तथा बकाया किस्तों को कम करना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, निम्न में से जो अधिक हो, एकमुश्त

राशि का भुगतान किया जाएगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी:

- सभी भविष्य की देय किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि, जिसके लिए निपटान विकल्प का प्रयोग किया गया था) में से (पहले से भुगतान की जा चुकी कुल किस्तों का योग) घटाकर प्राप्त हुई राशि।

ii. भविष्य की किस्तों के भुगतान में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल से अधिक नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा, जिसके दौरान निपटान विकल्प शुरू किया गया था।

तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू हुए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.07% प्रति वर्ष होगी।

iii. परिपक्वता तिथि के बाद निपटान विकल्प का प्रयोग करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामिती को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा तथा नामिती द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

III. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प:

यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 साल की अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने पर या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान किया जा सकता है, जो पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए होगा। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा कि विकल्प दिया गया है, भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि निम्नानुसार होगी:

किस्तों में भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रू. 5,000/-
त्रैमासिक	रू. 15,000/-
अर्धवार्षिक	रू. 25,000/-
वार्षिक	रू. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावे की राशि का भुगतान केवल एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल में से 200 आधार अंक घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा।

तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने पर पॉलिसीधारक द्वारा, या बीमित व्यक्ति के वयस्क होने पर स्वयं उसके द्वारा पॉलिसी की अवधि के दौरान अपने जीवनकाल में इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें वह शुद्ध दावा राशि निर्दिष्ट की जाती है जिसके लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाना है। मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

इस योजना के अंतर्गत एकल प्रीमियम भुगतान या सीमित प्रीमियम भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में, प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतराल (केवल एनएसीएच (NACH) के माध्यम से मासिक प्रीमियम) या वेतन कटौतियों के माध्यम से किया जा सकता है।

6. अनुग्रह अवधि (केवल विकल्प I और विकल्प II के मामले में लागू):

वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से उपलब्ध होगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ चालू माना जाएगा। यदि अनुग्रह अवधि के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय है।

7. नमूने हेतु उदाहरणात्मक प्रीमियम:

ऑफलाइन विक्रय के माध्यम से बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए सीमित और एकल प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत 5 लाख रुपए की मूल बीमा राशि, 5 वर्ष की आयु के मानक जीवन के लिए और 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए नमूना उदाहरणात्मक प्रीमियम निम्नानुसार हैं:

सीमित प्रीमियम:

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में)	वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	
	विकल्प I	विकल्प II
5	99,625	1,00,100
6	84,275	84,625
7	73,625	73,900

एकल प्रीमियम:

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में)	एकल प्रीमियम (रु. में)	
	विकल्प III	विकल्प IV
एकल भुगतान	3,89,225	4,12,600

उपरोक्त प्रीमियमों में कर शामिल नहीं हैं।

8. प्रीमियम रूपांतरण कारक (केवल विकल्प I और विकल्प II के मामले में लागू):

प्रीमियम भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए प्रीमियम रूपांतरण कारक निम्नानुसार हैं:

प्रीमियम भुगतान की विधि	प्रीमियम रूपांतरण कारक
वार्षिक	1.0000
अर्धवार्षिक	0.5090
त्रैमासिक	0.2568
मासिक	0.0861

9. छूट:

I. उच्च मूल बीमा राशि के लिए छूट:

उच्च मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम दर में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन राशि (इंसेन्टिव) मूल बीमित राशि की चार स्लैब के लिए प्रदान किया जाता है i) 3,50,000 रुपए से 4,75,000 रुपए, ii) 5,00,000 रुपए से 9,75,000 रुपए, iii) 10,00,000 रुपए से 24,50,000 रुपए और iv) 25,00,000 रुपए और उससे अधिक। उच्च मूल बीमित राशि के लिए छूट मूल बीमित राशि स्लैब,

प्रवेश के समय आयु और परिपक्वता आयु पर निर्भर करती है। मूल बीमित राशि की निचली स्लैब से मूल बीमित राशि की उच्च स्लैब में जाने पर छूट बढ़ जाती है।

II. ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत छूट:

किसी अभिकर्ता/मध्यस्थ की सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव निम्नलिखित दरों पर छूट के लिए पात्र होंगे।

प्रीमियम भुगतान	**ऑनलाइन विक्रय छूट (सारणीबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)**
सीमित प्रीमियम	10%
एकल प्रीमियम	2%

10. पुनर्चलन (केवल विकल्प I और विकल्प II के मामले में लागू):

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत हो चुकी पॉलिसी को भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित किया जा सकता है। पुनर्चलन, प्रीमियम की पूरी बकाया राशि के ब्याज (अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि) सहित भुगतान पर प्रभावी होगा और ब्याज दर का निर्धारण निगम द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है तथा ऐसा पुनर्चलन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट लाभ राइडर का विकल्प चुना गया है) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि, पहले से उपलब्ध सूचनाओं, दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के आधार पर और इस संबंध में पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि और जैसी पुनर्चलन के समय निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो, के आधार पर प्रभावी होगा।

निगम बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकार कर लिया जाएगा तथा पुनर्चलन रसीद जारी कर दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुनर्चलन हेतु लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन पर 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक में 300 आधार अंक जोड़कर उससे, या निगम के असंबद्ध असहभागी फंड पर अर्जित लाभ में 100 आधार अंक जोड़कर उससे, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल,

2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

कालातीत या चुकता पॉलिसी के पुनर्चलन पर इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ, जो कालातीत या चुकता होने की तिथि से पहले प्रचलित थे, वे बहाल हो जाएँगे।

यदि राइडर के पुनर्चलन का विकल्प चुना जाता है, तो उस पर केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा, अलग से नहीं।

11. पीओएसपीएलआई एवं सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से खरीदी गई योजनाः

यह योजना पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदी जा सकती है। हालाँकि, ऐसे मामलों में पात्रता की शर्तें और अन्य नियम और शर्तें आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, परिपत्रों और विनियमों आदि के अनुसार होंगी, जो पीओएस योजनाओं और पीओएसपी–एलआई पर लागू हैं। वर्तमान में, पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं:

- विकल्प 4 पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी चैनल के माध्यम से विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
- अधिकतम पॉलिसी अवधि : 20 वर्ष।
- मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि (प्रति जीवन): 25 लाख रुपए।

  एलआईसी की अमृतबाल योजना पीओएस–लाइफ उत्पादों की असंबद्ध, असहभागी, एंडोमेंट की श्रेणी में आती है, यदि इसे पीओएसपी–एलआई या सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदा जाता है। असंबद्ध, असहभागी, एंडोमेंट उत्पादों की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि 25 लाख रुपए होगी, यदि पॉलिसी पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी चैनल (दोनों समावेशी) के माध्यम से खरीदी जाती है।

  हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि निगम की बीमांकन नीति के अनुसार इस उत्पाद के अंतर्गत गैर–चिकित्सा सीमाओं के अनुसार तय की जाएगी।
- पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।
- मुख्य विशेषताएं यदि विक्रय पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी द्वारा किया जाता है तो एलआईसी के अमृतबाल के लिए लागू

दस्तावेज (केएफडी) सह प्रस्ताव फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

12. चुकता मूल्य (केवल विकल्प I और विकल्प II के मामले में लागू):

यदि इस पॉलिसी के संबंध में एक पूर्ण वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी आगामी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ पहली भुगतान नहीं हुई प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि के पूरी होने के बाद समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा तथा उस समय तक चुकाई गई प्रीमियमों को भी वापस नहीं किया जाएगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम चुकाने के बाद भी, प्रथम पॉलिसी वर्ष पूरा होने पर, किसी भी आगामी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **मृत्यु पर बीमित राशि** को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा, जिसे **'मृत्यु चुकता बीमा राशि'** कहा जाता है और यह **'मृत्यु पर बीमा राशि'** गुणित अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थी, से उस अवधि का अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, के बराबर होगी। जीवन बीमाधारक की मृत्यु पर चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ, पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि के साथ मृत्यु चुकता बीमा राशि होगी (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है)।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर बीमित राशि** को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा जिसे **'परिपक्वता चुकता बीमा राशि'** कहा जाता है और यह **'परिपक्वता पर बीमा राशि'** गुणित अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थी, से उस अवधि का अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, के बराबर होगी। पॉलिसी अवधि के पूरा होने पर चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ चुकता पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि के साथ परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगी।

चुकता पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि:

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धि निम्नलिखित का योग होगी:

(i) पॉलिसी के अंतर्गत उस अवधि के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि, जिसके लिए पूरे वर्ष की प्रीमियम चुकाई गई है।

(ii) उस पॉलिसी वर्ष के लिए जिसके लिए पूरे वर्ष की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है (वह वर्ष जिसमें पॉलिसी चुकता हो जाती है), उस वर्ष के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि, एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत लागू दर के साथ लागू अवधि के लिए आनुपातिक गारंटीकृत परिवर्धन का

योग होगा और उस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी चुकता होने की अवधि के लिए आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि, लागू कम गारंटीकृत अभिवृद्धि दर के साथ होगी (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है)।

(iii) आगामी पॉलिसी वर्षों के लिए, कम की गई गारंटीकृत अभिवृद्धियां (जैसा कि नीचे उल्लेखित है) प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में पॉलिसी अवधि के अंत तक अर्जित होंगी।

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत घटी हुई गारंटीकृत अभिवृद्धि (प्रति हजार मूल बीमित राशि) प्रीमियम भुगतान अवधि और उस पॉलिसी वर्ष की संख्या पर निर्भर करेगी, जिसके लिए पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और यह निम्नानुसार है:

पॉलिसी वर्ष की संख्या, जिसके लिए पूरे वर्ष का प्रीमियम भुगतान किया गया है।	मूल बीमित राशि के प्रति 1000 रुपए पर घटी हुई गारंटीकृत अभिवृद्धि (रुपए में)		
	पीपीटी (5 वर्ष)	पीपीटी (6 वर्ष)	पीपीटी (7 वर्ष)
2	15.00	9.00	6.00
3	33.00	23.00	16.00
4	54.00	39.00	28.00
5	–	57.00	42.00
6	–	–	58.00

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण करने या मृत्यु होने की स्थिति में, जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है या जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु का दावा हुआ है, उस पॉलिसी वर्ष के लिए कम गारंटीकृत अभिवृद्धि, उस पॉलिसी वर्ष के पूर्ण हुए महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ा जाएगी, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है या जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु का दावा हुआ है (अर्थात मृत्यु की तिथि तक की अवधि)।

यदि पॉलिसी कालातीत हो गई है तो राइडर कोई भी चुकता मूल्य अर्जित नहीं करेगा तथा राइडर हितलाभ लागू नहीं होंगे।

13. अभ्यर्पण:

सीमित प्रीमियम भुगतान (विकल्प I और विकल्प II) के अंतर्गत, पॉलिसीधारक द्वारा पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद पॉलिसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम चुकाई गई हो। एकल प्रीमियम भुगतान (विकल्प III और विकल्प IV) के अंतर्गत, पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है। हालाँकि, सीमित प्रीमियम भुगतान (विकल्प I और विकल्प II) के अंतर्गत पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण

मूल्य प्राप्त करेगी और पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम चुकाई गई हो।

चालू या चुकता पॉलिसी के लिए देय अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो अधिक होगा, वह देय होगा।

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)

ए) एकल प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत (विकल्प III एवं विकल्प IV) :

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य निम्नानुसार होगा:

– पहले तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान : भुगतान की गई एकल प्रीमियम का 75%

– तीसरे पॉलिसी वर्ष के बाद : भुगतान की गई एकल प्रीमियम का 90%

उपरोक्त एकल प्रीमियम में कर, राइडर प्रीमियम और अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि, यदि कोई हो, का अभ्यर्पण मूल्य, अर्थात अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि गुणित अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू जीएसवी कारक भी देय होगा।

बी) सीमित प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत (विकल्प I और विकल्प II) :

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (कुल भुगतान की गई प्रीमियम (किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम, यदि चयनित हो और कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो, को छोड़कर) गुणित कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू जीएसवी कारक) और (अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि गुणित अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियों पर लागू जीएसवी कारक) का योग होगा।

कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है और इन्हें नीचे निर्दिष्ट किया गया है :

कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक (सीमित प्रीमियम के लिए)

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि															
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%
9	90.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%
10	90.00%	90.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%
11		90.00%	90.00%	74.00%	70.00%	67.14	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%
12			90.00%	90.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%
13				90.00%	90.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%
14					90.00%	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%
15						90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%
16							90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%
17								90.00%	90.00%	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%
18									90.00%	90.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%
19										90.00%	90.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%
20											90.00%	90.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%
21												90.00%	90.00%	78.00%	76.25%	74.71%
22													90.00%	90.00%	78.13%	76.47%
23														90.00%	90.00%	78.24%
24															90.00%	90.00%
25																90.00%

अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियों के लिए लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है तथा इन्हें नीचे निर्दिष्ट किया गया है :

अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%
2	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%
3	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%
4	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%
5	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%
6		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%
7			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
8				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
9					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
10						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
11							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
12								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
13									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
14										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
15											35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
16												35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
17													35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
18														35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
19															35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
20																35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
21																	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
22																		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
23																			35.00%	30.00%	27.06%
24																				35.00%	30.00%
25																					35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024, दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्र के

अनुरूप वार्षिक रूप से की जाएगी।

राइडर (यदि कोई हो) पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तथा आगे कोई लाभ देय नहीं होगा।

14. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगा:

i. सीमित प्रीमियम भुगतान (विकल्प I और विकल्प II) के अंतर्गत, ऋण पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद उपलब्ध होगा, बशर्ते कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। एकल प्रीमियम भुगतान (विकल्प III और विकल्प IV) के अंतर्गत, ऋण पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी के पूरा होने के तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि से 3 महीने) या निशुल्क अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय उपलब्ध होगा।

ii. अधिकतम स्वीकृत किया जाने वाला ऋण निम्नानुसार होगा:

सीमित प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत (विकल्प I एवं विकल्प II):

- चालू पॉलिसियों के लिए – अभ्यर्पण मूल्य के 90% तक।
- चुकता पॉलिसियों के लिए – अभ्यर्पण मूल्य के 80% तक।

एकल प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत (विकल्प III एवं विकल्प IV): अभ्यर्पण मूल्य के 75% तक।

iii. 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए इस उत्पाद के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम कारोबारी तिथि को 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक में 300 आधार अंक जोड़कर उसके योग, या निगम के असंबद्ध फंड पर अर्जित प्रतिफल में 100 आधार अंक जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। यदि बीमित व्यक्ति बालिका है और ऋण उसकी शिक्षा के उद्देश्य से लिया गया है तो लागू ब्याज दर (जैसा कि ऊपर बताया गया है) 100 आधार अंकों से कम हो जाएगी। हालांकि, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों पर वर्तमान लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक है। तदनुसार, बालिकाओं की शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर लागू ब्याज दर 8.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक होगी।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज के भुगतान में चूक

होने की स्थिति में और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाती है, तो निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का अधिकारी होगा। जब ऐसी पॉलिसियाँ बंद की जाती हैं, तो उन्हें अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि, यदि कोई हो, के अंतर के भुगतान का अधिकारी होगा।

V. ब्याज सहित किसी भी बकाया ऋण को निकासी के समय दावे की राशि से वसूल किया जाएगा।

15. कुछ घटनाओं में ज़ब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोककर रखी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी लाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

16. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर पॉलिसी तत्काल एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि जिस दिन एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभ का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का उपयोग नहीं करने पर परिपक्वता की तिथि; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्त के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 14 में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि पॉलिसी ने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, तो पुनर्चलन अवधि के भीतर उसे पुनर्चलित नहीं किया गया है; या

जी) निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एच) अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

17. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हों, समय-समय पर लागू कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होंगे।

लागू करों की राशि, प्रचलित दरों के अनुसार, प्रीमियम (मूल पॉलिसी

और राइडर, यदि कोई हो, के लिए) पर पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल है, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। भुगतान की गई कर राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना हेतु विचाराधीन नहीं रखा जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियम और देय हितलाभों पर आयकर हितलाभ/प्रभाव के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।

18. निःशुल्क अवलोकन अवधिः

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम पॉलिसी को निरस्त कर देगा और बीमा–सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर के लिए, यदि कोई हो) में कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि, चिकित्सा जाँच पर हुए खर्च (विशेष रिपोर्ट सहित, यदि कोई हो) और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वापस कर देगा।

19. आत्महत्या अपवर्जनः

ए) सीमित प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत (विकल्प I एवं विकल्प II):

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम (कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) के 80% को पाने की पात्रता होगी, बशर्ते पॉलिसी चालू हो। यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम है, तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम (कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) का 80% या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक होगा, वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति के नामित व्यक्ति या लाभार्थी को इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे की पात्रता नहीं होगी।

यह अनुच्छेद निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

ए) यदि पुनर्चलन के समय बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है; या

बी) ऐसी पॉलिसी के लिए जो चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना ही समाप्त हो गई हो और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

बी) एकल प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत (विकल्प III एवं विकल्प IV):

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या विक्षिप्त) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80% को पाने की पात्रता होगी। यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है, तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।

20. प्रतीक्षा अवधिः

यदि इस योजना को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई) या सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदा जाता है, तो जोखिम शुरू होने की तिथि से पहले 90 दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, निगम भुगतान की गई कुल प्रीमियम को वापस कर देगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो और मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण न हुई हो। हालाँकि, प्रतीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में, अनुच्छेद 3.ए में निर्दिष्ट अनुसार मृत्यु हितलाभ देय होगा। यदि बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है, तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।

21. नमूना हितलाभ उदाहरणः

इस चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके। यह चित्रण अभिकर्ता/मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसियों के लिए मानक जीवन (चिकित्सा और जीवनशैली के दृष्टिकोण से) पर लागू होता है।

उदाहरण 1 : विकल्प I – मृत्यु पर बीमित राशि वार्षिक प्रीमियम या मूल बीमित राशि के 7 गुना में से जो अधिक हो

आयु	5 वर्ष	मूल बीमा राशि	रु. 5,00,000/–
परिपक्वता आयु	25 वर्ष	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष)	शून्य
पॉलिसी अवधि	20 वर्ष	जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से आगे)	शून्य
प्रीमियम भुगतान अवधि	7 वर्ष	टिप्पणी: जीएसटी दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में इसकी छूट है।	

प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक	किस्त प्रीमियम	रु. 73,625/-

(राशि रु. में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समापन)	वार्षिक प्रीमियम[1] (संचयी)	गारंटीकृत अभिवृद्धि	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ
1	73,625	40,000	0	73,625
2	1,47,250	80,000	0	1,47,250
3	2,20,875	1,20,000	0	6,35,375
4	2,94,500	1,60,000	0	6,75,375
5	3,68,125	2,00,000	0	7,15,375
6	4,41,750	2,40,000	0	7,55,375
7	5,15,375	2,80,000	0	7,95,375
8	5,15,375	3,20,000	0	8,35,375
9	5,15,375	3,60,000	0	8,75,375
10	5,15,375	4,00,000	0	9,15,375
11	5,15,375	4,40,000	0	9,55,375
12	5,15,375	4,80,000	0	9,95,375
13	5,15,375	5,20,000	0	10,35,375
14	5,15,375	5,60,000	0	10,75,375
15	5,15,375	6,00,000	0	11,15,375
16	5,15,375	6,40,000	0	11,55,375
17	5,15,375	6,80,000	0	11,95,375
18	5,15,375	7,20,000	0	12,35,375
19	5,15,375	7,60,000	0	12,75,375
20	5,15,375	8,00,000	13,00,000	13,15,375

टिप्पणी:

1. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियमों पर आवृत्ति भार, राइडरों के लिए भुगतान की गई प्रीमियमें और वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

उदाहरण 2 : विकल्प III – मृत्यु पर बीमित राशि एकल प्रीमियम या मूल बीमित राशि के 1.25 गुना में से जो अधिक हो

आयु	5 वर्ष	मूल बीमा राशि	रु. 5,00,000/-
परिपक्वता आयु	25 वर्ष	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष)	शून्य
पॉलिसी अवधि	20 वर्ष	जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से आगे)	लागू नहीं
प्रीमियम भुगतान अवधि	एकल प्रीमियम	टिप्पणी: जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में इसकी छूट है।	
प्रीमियम भुगतान की विधि	एकल	एकल प्रीमियम	रु. 3,89,225/-

(राशि रु. में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समापन)	एकल प्रीमियम[1] (संचयी)	गारंटीकृत अभिवृद्धि	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ
1	3,89,225	40,000	0	3,89,225
2	3,89,225	80,000	0	3,89,225
3	3,89,225	1,20,000	0	6,20,000
4	3,89,225	1,60,000	0	6,60,000
5	3,89,225	2,00,000	0	7,00,000
6	3,89,225	2,40,000	0	7,40,000
7	3,89,225	2,80,000	0	7,80,000
8	3,89,225	3,20,000	0	8,20,000
9	3,89,225	3,60,000	0	8,60,000
10	3,89,225	4,00,000	0	9,00,000
11	3,89,225	4,40,000	0	9,40,000
12	3,89,225	4,80,000	0	9,80,000
13	3,89,225	5,20,000	0	10,20,000
14	3,89,225	5,60,000	0	10,60,000
15	3,89,225	6,00,000	0	11,00,000
16	3,89,225	6,40,000	0	11,40,000
17	3,89,225	6,80,000	0	11,80,000
18	3,89,225	7,20,000	0	12,20,000
19	3,89,225	7,60,000	0	12,60,000
20	3,89,225	8,00,000	13,00,000	13,00,000

टिप्पणी:

1. एकल प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

22. शिकायत निवारण तंत्रः

निगम कीः

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) मौजूद हैं। ग्राहक हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर जाकर जीआरओ के नाम और संपर्क जानकारी तथा शिकायत-संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का तेज़ निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहक-अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। ग्राहक अपनी सभी शिकायतों के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@ licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा परित्याग के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति को भेजने का विकल्प है। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय का न्यायाधीश हर दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीआई काः

यदि ग्राहक प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है या उसे 15 दिनों के भीतर हमसे कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाकर पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

i) टोल-फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीआई शिकायत कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करना

ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना

iv) कूरियर/पत्र के ज़रिए शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्त ज़िला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल काः

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिससे ग्राहक किफ़ायती और तेज़ मध्यस्थता प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान समय–समय पर यथा संशोधित लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार हैं:

(1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो।

(2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

शर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे लिखित में सूचित करना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I– इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, ''धोखाधडी'' शब्द का मतलब बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने की मंशा से किए गए निम्नांकित में से किसी भी कार्य से है:–

(ए) तथ्य के रूप में किसी ऐसे विचार का सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जबकि उसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसकी वास्तविकता का विश्वास हो;

(सी) कोई और कृत्य जो धोखा देने के लिए उपयुक्त हो; और

(डी) ऐसा कोई कृत्य या भूल–चूक जिसे कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण II– ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना हो, तब तक धोखाधडी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, तो बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का यह कर्त्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना अपने आप में ही बोलने के समतुल्य न हो।

(3) उपधारा (2) में कोई भी बात शामिल होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता धोखाधडी के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत नहीं करेगा, यदि बीमाकर्ता यह प्रमाणित कर सकता है कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना उसकी

सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने की कोई जान बूझ कर मंशा नहीं थी या यह कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधडी की स्थिति में यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो झूठ को गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति, जो बीमा के अनुबंध की माँग करता है या बातचीत करता है, वह अनुबंध करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट समझा जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज़ पर गलत ढंग से किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत का ऐसा निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत करने की स्थिति में, न कि धोखाधडी के आधार पर, अस्वीकृत की तारीख तक पॉलिसी पर लिए गए प्रीमियम बीमित व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को ऐसे अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अदा किए जाएँगे।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक बीम ाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत होता, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

(5) इस धारा में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से रोक नहीं सकेगी यदि वह ऐसा करने का हकदार हो, और किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा कि पॉलिसी की शर्तें बाद में यह प्रमाणित किए जाने पर ठीक कर ली गई हैं कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41):

1. कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में कोई बीमा लेने या नवीकृत करने या जारी रखने हेतु, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी भी रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोई भी रियायत स्वीकार करेगा, सिवाए उस रियायत के जिसकी अनुमति बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।
2. इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ जो एलआईसी पर लागू हैं, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज़ देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

नकली फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ी वाले ऑफर से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या इसके अधिकारी बीमा व्यवसाय संबंधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियम का निवेश करना, या राशि वापस करना। पॉलिसीधारकों या ऐसे फ़ोन कॉल प्राप्त करने वाले संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के समस्त बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से जीवन बीमा का दूर-दूर तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना था। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी प्रमुख जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नए विकास पथ पर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। छः दशकों से भी ज़्यादा समय से अपने अस्तित्व में, एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना उत्तरोत्तर विकास किया है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम,

जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512